कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़।

पत्रांक 2973/14–10, अलीगढ़: दिनांक: फरवरी, 06- 2024

सेवा में,

जनरल मैनेजर,
साउथ ईस्ट यू०पी० पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लि०,
ऑफिस नं0 116, प्रथम तल,
लेवाना साइबर हाइटस,
इन्द्रा गांधी प्रतिष्ठान के पीछे,
बिभूति खण्ड, लखनऊ–226010।

विषयः– **साउथ–ईस्ट यू0पी0 पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि0 द्वारा 400 के0वी0 डबल सर्किट मैनपुरी–अलीगढ़ द्विपथ पारेषण लाइन के निर्माण हेतु एटा में 0.46 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग व 01 वृक्ष पातन, अलीगढ़ में 1.8354 हे0 आरक्षित व 0.0276 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग व 02 वृक्षों के पातन, हाथरस में 0.8544 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग व 80 वृक्षों के पातन कुल 3.177404 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग व उस पर अवस्थित 83 वृक्षों के पातन की अनुमति।**

संदर्भः– भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ का पत्रांक 8बी/यू0पी0/04–99/2016/एफ0सी0/15 दिनांक 10.04.2023 एवं मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ का पत्रांक 3240/11–सी. दिनांक 11.04.2023 एवं इस कार्यालय का पत्रांक–4033/14–10 दिनांक 24.04.2023

उपरोक्त विशयक प्रकरण के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि भारत सरकार के पत्र दिनांक 21.03.2017 द्वारा कतिपय शर्तों के अधीन निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति की प्रेषित अनुपालन आख्या में निम्न आपत्तियाँ लगाई गयीं हैं–

1. The NPV and penal NPV shall be deposited on revised rates as per orders dated 06.01.2022 and 19.01.2022. As per Para 1.21 (ii) of Comprehensive Guidelines. Penal NPV of five (5) times the NPV of area under violation plus 12 percent simple interest till the deposit is made, should be imposed and deposited.
2. In case of public utility projects of the Government, the penalty shall be 20% of the penalty proposed.

   इस सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा दिनांक 22.03.2022 के पत्र में निम्नानुसार प्रावधान किया गया है।

   a. New rates will be applicable on all the proposals that have been granted Stage -1 / in-principle approval after 06.01.2022.
   b. The new rates will also be applicable on all the cases that were granted Stage -1 / in-principle approval prior to 06.01.2022 and where even after lapse of 5 years, the Stage – II / Final approval is not granted due to non-submission of complete compliance of the conditions stipulated in Stage -I / in-principle approval.

प्रकरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति भारत सरकार के पत्र दिनांक 21.03.2017 को कतिपय शर्तों के अधीन निर्गत की गयी है, जो कि 06.01.2017 के पश्चात् एवं 06.01.2022 से पूर्व निर्गत की गयी है तथा 05 वर्ष के बाद भी स्टेज–2/विधिवत् स्वीकृति अनुपालन आख्या प्रेषित न किये जाने के कारण निर्गत नहीं हो सकी।

अतः इस कार्यालय के पत्रांक–1564/14–10 दिनांक 19.10.2023, प्रभागीय वनाधिकारी, हाथरस वन प्रभाग, हाथरस का पत्रांक–1050/14–10 दिनांक 11.10.2023 एवं प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, एटा के पत्रांक–1532/14–1 दिनांक 20.01.2024 के द्वारा भारत सरकार के पत्रांक–5-3/2011-FC(Vol-I) दिनांक 22.03.2022 के अनुसार धनराशि ई–पेमेन्ट से उत्पन्न चालान के द्वारा जमाकर प्राप्ति रसीद/पेमेन्ट हिस्ट्री उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

1. अलीगढ़ वन प्रभाग, एटा वन प्रभाग एवं हाथरस वन प्रभाग द्वारा प्रेषित भारत सरकार के पत्र दिनांक 29.01.2018 के पेरा–बी–2 के अनुसार दण्डात्मक एन.पी.वी. की गणना शीट संलग्न कर संलग्न कर इस आशय के साथ प्रेषित है कि प्रकरण में प्रभागवार निम्न प्रकार धनराशि जमा कराने का कष्ट करें।

क्र. सं.	प्रभाग का नाम	मद का नाम	भारत सरकार के पत्र दिनांक 29.01.2018 के पेरा बी. (ii) के अनुसार तैयार की गयी गणना शीट के अन्तर्गत जमा की जाने वाली धनराशि।	भारत सरकार के पत्र दिनांक 29.01.2018 के पेरा सी. (ii) के अनुसार जमा की गयी धनराशि।	वर्तमान में जमा की जाने वाली धनराशि।
1	अलीगढ़	एन.पी.वी.	1784344.14	1166238.00	618106.00
2		दण्डात्मक एन.पी.वी.	2059276.00	466495.00	1592781.00
3	हाथरस	एन.पी.वी.	818327.00	534855.00	283472.00
4		दण्डात्मक एन.पी.वी.	944415.00	213972.00	730473.00
5	एटा	एन.पी.वी.	515322.36	336812.00	178510.36
6		दण्डात्मक एन.पी.वी.	601897.00	134725.00	467172.00
		योग	**6723581.5**	**2853097.00**	**3870514.36**

संलग्नक– उपरोक्तानुसार।

06/02/24

(दिवाकर कुमार वशिष्ठ)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़।

पत्रांक (1)/ दिनांकित।

प्रतिलिपिः– मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ को विंशयक क्रम में सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपिः– वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़ को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपिः– प्रभागीय वनाधिकारी, हाथरस वन प्रभाग, हाथरस को उनके पत्रांक–1050/14–1 दिनांक 11.10.2023 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, एटा को उनके पत्रांक–1532/14–1 दिनांक 20.01.2024 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, हाथरस वन प्रभाग , हाथरस

पत्रांक : 1052 दिनांक : हाथरस / अक्टूबर: 11-, 2023

सेवा में ,
जनरल मैनेजर,
साउथ ईस्ट यू० पी० ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड,
409, चतुर्थ तल, शालीमार टाइटेनियम,
विभूति खंड , गोमती नगर,
लखनऊ - 22601।

विषय : साउथ ईस्ट यू० पी० पावर ट्रांसमिशन कंपनी लि० द्वारा 400 के० वी० डबल सर्किट मैनपुरी - अलीगढ द्विपथ पारेषण लाइन के निर्माण हेतु एटा में 0.46 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग व 01 वृक्ष पातन, अलीगढ में 1.8354 हे० आरक्षित व 0.0276 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग व 02 वृक्षों के पातन, हाथरस में 0.8544 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग व 80 वृक्षों के पातन, कुल 3.1774 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग व उस पर अवस्थित 83 वृक्षों के पातन की अनुमति।

सन्दर्भ : भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ का पत्रांक 8बी / यू० पी० / 04-99 / 2016 / ऍफ़० सी० /15 दिनांक 10.04.2023 एवं मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी , पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ० प्र० , लखनऊ का पत्रांक 3240 / 11-सी दिनांक 11.04.2023.

उपरोक्त विषयक प्रकरण के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि भारत सरकार के पत्र दिनांक 21.03.2017 द्वारा कतिपय शर्तों के अधीन निर्गत सैद्धांतिक स्वीकृति की प्रेषित अनुपालन आख्या में निम्न आपत्तियां गयी हैं –

1. The NPV and penal NPV shall be deposited on revised rates as per orders dated 06.01.2022 and 19.01.2022. As per Para 1.21 (ii) of Comprehensive Guidelines. Penal NPV of five (5) times the NPV of area under violation plus 12 percent simple interest till the deposit is made, should be imposed and deposited.
2. In case of public utility projects of the Government, the penalty shall be 20% of the penalty proposed.

भारत सरकार द्वारा दिनांक 22.03.2022 के पत्र में निम्नानुसार प्राविधान किया गया है –

a. New rates will be applicable on all the proposals that have been granted Stage-1 / in-principle approval after 06.01.2022.
b. The new rates will also be applicable on all the cases that were granted Stage-1 / in-principle approval prior to 06.01.2022 and where even after lapse of 5 years, the Stage – II / Final approval is not granted due to non-submission of complete compliance of the conditions stipulated in Stage-I / in-principle approval.

प्रकरण में सैद्धांतिक स्वीकृति भारत सरकार के पत्र दिनांक 21.03.2017 को कतिपय शर्तों के अधीन निर्गत की गयी है, जो कि 06.01.2022 से पूर्व निर्गत कि गयी है तथा 5 वर्ष के बाद भी स्टेज - 2 / विधिवत स्वीकृति नॉन - कंप्लायंस न होने की वजह से निर्गत नहीं किया जा सका है.

अतः भारत सरकार के संदर्भित पत्र दिनांक 22.03.2022 के अनुसार निम्न प्रकार धनराशि ई - पेमेंट से उत्पन्न चालान के द्वारा जमा कर पावती रसीद / पेमेंट हिस्ट्री 05 प्रतियों में इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें -

1. भारत सरकार के पत्र दिनांक 29.01.2018 के पैरा - बी (ii) के अनुसार दंडात्मक एन० पी० वी० की गणना शीट संलग्न कर इस आशय के साथ प्रेषित है की प्रकरण में निम्न प्रकार धनराशि जमा कराएं।

क्रम	मद का नाम	भारत सरकार के पत्र दिनांक 29.01.2018 के पैरा बी (ii) के अनुसार तैयार की गयी गणना शीट के अंतर्गत जमा की जाने वाली धनराशि	भारत सरकार के पत्र दिनांक 29.01.2018 के पैरा सी (ii) के अनुसार जमा की गयी धनराशि	वर्तमान में जमा की जाने वाली धनराशि
1.	एन० पी० वी०	8,18,327.00	5,34,855.00	2,83,472.00
2.	दंडात्मक एन० पी० वी०	9,44,415.00	2,13,942.00	7,30,473.00
योग		10,13,945.00 (**दस लाख तेरह हज़ार नौ सौ पैंतालीस मात्र**)		

संलग्नक - उपरोक्तानुसार।

प्रभागीय वनाधिकारी
हाथरस वन प्रभाग, हाथरस

पत्रांक - 1050 (1) / दिनांक

1. प्रतिलिपि - वन संरक्षक, अलीगढ वृत्त, अलीगढ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. प्रतिलिपि - प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी
हाथरस वन प्रभाग, हाथरस

वन (संरक्षण) अधिनियम, १९८० के उल्लंघन के विषय में Penalty की प्रस्तावित गणना

साउथ - ईस्ट यू० पी० पावर ट्रांसमिशन कंपनी लि० द्वारा 400 के० वी० डबल सर्किट मैनपुरी - अलीगढ द्विपथ पारेषण लाइन के निर्माण हेतु जनपद हाथरस में 0.8544 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग व 80 वृक्षों के पातन की अनुमति हेतु प्रेषित प्रस्ताव के अंतर्गत प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भारत सरकार की विधिवत स्वीकृति से पूर्व कार्य पूर्ण कराकर, वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन किया है। उल्लंघन के सम्बन्ध में भारत सरकार, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक F.No. 11-42/2017 – FC दिनांक 21.01.2018 द्वारा जारी गाइडलाइन्स की अनुसार निम्न प्रकार Penalty का प्राविधान किया गया है।

B. In cases where the proposal under FC Act is under consideration and forest land is diverted before grant of FC :

i . The penalty for violation shall be equal to NPV of forest land per Hectare for each year of violation from the date of actual diversion as reported by the Inspecting Officer with maximum upto five (5) times the NPV plus 12 percent simple interest till the deposits is made.

ii – In case of public utility projects of the Government, penalty shall be 20% of the penalty proposed in para (i) above.

1. प्रस्ताव के अंतर्गत प्रस्तावित एन० पी० वी० - प्रभावित वन भूमि (0.8544) X 9,57,780 = 8,18,327.23
2. प्रस्ताव के प्रक्रिया में होने वाले उल्लंघन किये जाने के कारण - 5 X 8,18,327.23 = 40,91,636.16
   (वर्ष 2017 से उल्लंघन हेतु - अधिकतम 5 गुना)
3. 12 प्रतिशत Simple Interest = 40,91,636.16 X 12% = 4,90,996.34
4. पांच वर्ष की एन० पी० वी० पर एक वर्ष का ब्याज 4,90,996.34/ 5 = 98,199.27
5. छः वर्ष एवं पांच माह की एन० पी० वी० का ब्याज (98,199.27 X 6.42) = 6,30,439.30
6. पांच गुना एन० पी० वी० एवं छः वर्ष पांच माह की एन० पी० वी० का ब्याज =47,22,075.46
   (40,91,636.16 + 6,30,439.30)
7. Public Utility Project होने के कारण, कुल आगणित दंडात्मक एन०पी०वी० का 20 प्रतिशत = 9,44,415.09
   (47,22,075.46 X 20%)

(रू० शब्दों में - नौ लाख चौवालीस हजार चार सौ पंद्रह मात्र)

प्रभागीय वनाधिकारी
हाथरस वन प्रभाग, हाथरस

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग , अलीगढ

पत्रांक : 1564 दिनांक : अलीगढ/ अक्टूबर : 19 , 2023

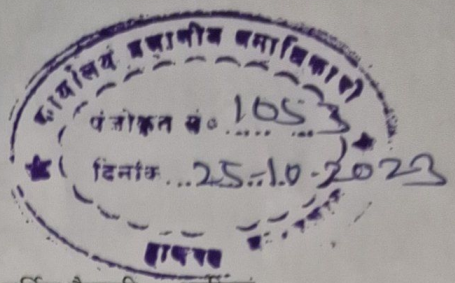

सेवा में ,

जनरल मैनेजर,
साउथ ईस्ट यू० पी० ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड,
409, चतुर्थ तल, शालीमार टाइटेनियम,
विभूति खंड , गोमती नगर,
लखनऊ – 22601।

विषय : साउथ ईस्ट यू० पी० पावर ट्रांसमिशन कंपनी लि० द्वारा 400 के० वी० डबल सर्किट मैनपुरी – अलीगढ द्विपथ पारेषण लाइन के निर्माण हेतु एटा में 0.46 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग व 01 वृक्ष पातन, अलीगढ में 1.8354 हे० आरक्षित व 0.0276 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग व 02 वृक्षों के पातन, हाथरस में 0.8544 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग व 80 वृक्षों के पातन, कुल 3.1774 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग व उस पर अवस्थित 83 वृक्षों के पातन की अनुमति।

सन्दर्भ : भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ का पत्रांक 8बी / यू० पी० /04-99 /2016/ऍफ़०सी०/15 दिनांक 10.04.2023 एवं मुख्य वन संरक्षक /नोडल अधिकारी , पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ० प्र० , लखनऊ का पत्रांक 3240/11–सी दिनांक 11.04.2023.

उपरोक्त विषयक प्रकरण के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि भारत सरकार के संदर्भित पत्र दिनांक 10.04.2023 द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृति की प्रेषित अनुपालन आख्या में निम्न आपत्तियां गयी हैं –

1. The NPV and penal NPV shall be deposited on revised rates as per orders dated 06.01.2022 and 19.01.2022. As per Para 1.21 (ii) of Comprehensive Guidelines. Penal NPV of five (5) times the NPV of area under violation plus 12 percent simple interest till the deposit is made, should be imposed and deposited.
2. In case of public utility projects of the Government, the penalty shall be 20% of the penalty proposed.

इस सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा दिनांक 22.03.2022 के पत्र में निम्नानुसार प्राविधान किया गया है –

a. New rates will be applicable on all the proposals that have been granted Stage -1 / in-principle approval after 06.01.2022.
b. The new rates will also be applicable on all the cases that were granted Stage -1 / in-principle approval prior to 06.01.2022 and where even after lapse of 5 years, the Stage – II / Final approval is not granted due to non-submission of complete compliance of the conditions stipulated in Stage -I / in-principle approval.

प्रकरण में सैद्धांतिक स्वीकृति भारत सरकार के पत्र दिनांक 21.03.2017 को कतिपय शर्तों के अधीन निर्गत की गयी है, जो कि 06.01.2022 से पूर्व निर्गत कि गयी है तथा 5 वर्ष के बाद भी स्टेज – 2 / विधिवत स्वीकृति नॉन – कंप्लायंस न होने की वजह से निर्गत नहीं किया जा सका है.

अतः भारत सरकार के संदर्भित पत्र दिनांक 22.03.2022 के अनुसार निम्न प्रकार धनराशि ई–पेमेंट से उत्पन्न चालान के द्वारा जमा कर पावती रसीद / पेमेंट हिस्ट्री इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें –

1. भारत सरकार के पत्र दिनांक 29.01.2018 के पैरा – बी (ii) के अनुसार दंडात्मक एन० पी० वी० की गणना शीट संलग्न कर इस आशय के साथ प्रेषित है की प्रकरण में निम्न प्रकार धनराशि जमा कराएं।

D/M
आ० का० करें

प्र० व० अ०
हाथरस

20/10/2023

क्रम	मद का नाम	भारत सरकार के पत्र दिनांक 29.01.2018 के पैरा बी (ii) के अनुसार तैयार की गयी गणना शीट के अंतर्गत जमा की जाने वाली धनराशि	भारत सरकार के पत्र दिनांक 29.01.2018 के पैरा सी (ii) के अनुसार जमा की गयी धनराशि	वर्तमान में जमा की जाने वाली धनराशि
1.	एन० पी० वी०	17,84,344.14	**11,66,238.00**	**6,18,106.00**
2.	दंडात्मक एन० पी० वी०	**20,59,276.00**	**4,66,495.00**	**15,92,781.00**
	योग-			**22,10,887.00**

संलग्नक - उपरोक्तानुसार।

19/10/23

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ

पत्रांक - 1584 (1) / दिनांक

1. मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, उ० प्र० लखनऊ को विषयक क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
2. वन संरक्षक, अलीगढ वृत्त, अलीगढ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, हाथरस वन प्रभाग, हाथरस को इस आशय के साथ प्रेषित कि भारत सरकार के नवीन पत्र संख्या - 22.03.2022 के अनुसार प्रयोक्ता एजेंसी को मांग पत्र निर्गत करने हेतु।
4. प्रभागीय निदेशक , सामाजिक वानिकी प्रभाग, एटा को इस आशय के साथ प्रेषित कि भारत सरकार के नवीन पत्र संख्या - 22.03.2022 के अनुसार प्रयोक्ता एजेंसी को मांग पत्र निर्गत करने हेतु।

19/10/23

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ

वन (संरक्षण) अधिनियम, १९८० के उल्लंघन के विषय में Penalty की प्रस्तावित गणना

साउथ - ईस्ट यू० पी० पावर ट्रांसमिशन कंपनी लि० द्वारा 400 के० वी० डबल सर्किट मैनपुरी - अलीगढ द्विपथ पारेषण लाइन के निर्माण हेतु जनपद अलीगढ में 1.8354 हे० आरक्षित व 0.0276 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग व 02 वृक्षों के पातन की अनुमति हेतु प्रेषित प्रस्ताव के अंतर्गत प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भारत सरकार की विधिवत स्वीकृति से पूर्व कार्य पूर्ण कराकर, वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन किया है । उल्लंघन के सम्बन्ध में भारत सरकार, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक F.No. 11-42/2017 – FC दिनांक 21.01.2018 द्वारा जारी गाइडलाइन्स की अनुसार निम्न प्रकार Penalty का प्राविधान किया गया है।

B. In cases where the proposal under FC Act is under consideration and forest land is diverted before grant of FC :

i . The penalty for violation shall be equal to NPV of forest land per Hectare for each year of violation from the date of actual diversion as reported by the Inspecting Officer with maximum upto five (5) times the NPV plus 12 percent simple interest till the deposits is made.

ii – In case of public utility projects of the Government, penalty shall be 20% of the penalty proposed in para (i) above.

1. प्रस्ताव के अंतर्गत प्रस्तावित एन० पी० वी० - प्रभावित वन भूमि (1.863) X 9,57,780	= 17,84,344.14
2. प्रस्ताव के प्रक्रिया में होने वाले उल्लंघन किये जाने के कारण - 5 X 17,84,344.14 (वर्ष 2017 से उल्लंघन हेतु - अधिकतम 5 गुना)	= 89,21,720.70
3. 12 प्रतिशत Simple Interest = 89,21,720.70 X 12%	= 10,70,606.48
4. पांच वर्ष की एन० पी० वी० पर एक वर्ष का ब्याज 10,70,606.48 / 5	= 2,14,121.30
5. छः वर्ष एवं पांच माह की एन० पी० वी० का ब्याज (2,14,121.30 X 6.42)	= 13,74,658.75
6. पांच गुना एन० पी० वी० एवं छः वर्ष पांच माह की एन० पी० वी० का ब्याज (89,21,720.70 + 13,74,658.75)	= 1,02,96,379.45
7. Public Utility Project होने के कारण, कुल आगणित दंडात्मक एन०पी०वी० का 20% (1,02,96,379.45 X 20%)	=20,59,276.00

(रू० शब्दों में - बीस लाख उनसठ हज़ार दो सौ छिहत्तर मात्र)

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग , एटा

पत्रांक 1534/14-1 दिनांक : एटा / ~~अक्टूबर~~ 20- जनवरी , 2024

सेवा में ,
जनरल मैनेजर,
साउथ ईस्ट यू० पी० ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड,
409, चतुर्थ तल, शालीमार टाइटेनियम,
विभूति खंड , गोमती नगर,
लखनऊ - 226010

ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या – FP/UP/TRANS/13285/2015

विषय : साउथ ईस्ट यू० पी० पावर ट्रांसमिशन कंपनी लि० द्वारा 400 के० वी० डबल सर्किट मैनपुरी - अलीगढ द्विपथ पारेषण लाइन के निर्माण हेतु एटा में 0.46 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग व 01 वृक्ष पातन, अलीगढ में 1.8354 हे० आरक्षित व 0.0276 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग व 02 वृक्षों के पातन, हाथरस में 0.8544 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग व 80 वृक्षों के पातन, कुल 3.177404 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग व उस पर अवस्थित 83 वृक्षों के पातन की अनुमति।

सन्दर्भ : भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ का पत्रांक 8बी / यू० पी० / 04-99 / 2016 / ऍफ़० सी० /15 दिनांक 10.04.2023 एवं मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी , पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ० प्र० , लखनऊ का पत्रांक 3240 / 11-सी दिनांक 11.04.2023.

उपरोक्त प्रस्ताव एवं विषयक प्रकरण के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि भारत सरकार के पत्र दिनांक 10.04.2023 द्वारा विधिवत स्वीकृति हेतु कतिपय शर्तों के अधीन निर्गत सैद्धांतिक स्वीकृति की प्रेषित अनुपालन आख्या में निम्न आपत्तियां लगायी गयी हैं –

1. The NPV and penal NPV shall be deposited on revised rates as per orders dated 06.01.2022 and 19.01.2022. As per Para 1.21 (ii) of Comprehensive Guidelines. Penal NPV of five (5) times the NPV of area under violation plus 12 percent simple interest till the deposit is made, should be imposed and deposited.
2. In case of public utility projects of the Government, the penalty shall be 20% of the penalty proposed.

भारत सरकार द्वारा दिनांक 22.03.2022 के पत्र में निम्नानुसार प्राविधान किया गया है –

a. New rates will be applicable on all the proposals that have been granted Stage-1 / in-principle approval after 06.01.2022.
b. The new rates will also be applicable on all the cases that were granted Stage-1 / in-principle approval prior to 06.01.2022 and where even after lapse of 5 years, the Stage – II / Final approval is not granted due to non-submission of complete compliance of the conditions stipulated in Stage-I / in-principle approval.

Scanned with ACE Scanner

प्रकरण में सैद्धांतिक स्वीकृति भारत सरकार के पत्र दिनांक 21.03.2017 को कतिपय शर्तों के अधीन निर्गत की गयी है, जो कि 06.01.2022 से पूर्व निर्गत कि गयी है तथा 5 वर्ष के बाद भी स्टेज - 2 / विधिवत स्वीकृति नॉन - कंप्लायंस न होने की वजह से निर्गत नहीं किया जा सका है.

अतः भारत सरकार के संदर्भित पत्र दिनांक 22.03.2022 के अनुसार निम्न प्रकार धनराशि ई - पेमेंट से उत्पन्न चालान के द्वारा जमा कर पावती रसीद / पेमेंट हिस्ट्री 05 प्रतियों में इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें -

1. भारत सरकार के पत्र दिनांक 29.01.2018 के पैरा - बी (ii) के अनुसार दंडात्मक एन० पी० वी० की गणना शीट संलग्न कर इस आशय के साथ प्रेषित है की प्रकरण में निम्न प्रकार धनराशि जमा कराएं।

क्रम	मद का नाम	भारत सरकार के पत्र दिनांक 29.01.2018 के पैरा बी (ii) के अनुसार तैयार की गयी गणना शीट के अंतर्गत जमा की जाने वाली धनराशि	भारत सरकार के पत्र दिनांक 29.01.2018 के पैरा सी (ii) के अनुसार जमा की गयी धनराशि	वर्तमान में जमा की जाने वाली धनराशि
1.	एन० पी० वी०	5,15,322.36	3,36,812.00	1,78,510.36
2.	दंडात्मक एन० पी० वी०	6,01,897.00	1,34,725.00	4,67,172.00
कुल योग		**6,45,682.00 (छः लाख पैंतालीस हज़ार छः सौ बयासी)**		

संलग्नक - उपरोक्तानुसार।

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, एटा

पत्रांक - 1532/14-1(1) / दिनांक - 20-01-2024

1. प्रतिलिपि - वन संरक्षक, अलीगढ वृत्त, अलीगढ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. प्रतिलिपि - प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

20.1.24

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, एटा

Scanned with ACE Scanner

वन (संरक्षण) अधिनियम, १९८० के उल्लंघन के विषय में Penalty की प्रस्तावित गणना

साउथ - ईस्ट यू० पी० पावर ट्रांसमिशन कंपनी लि० द्वारा 400 के० वी० डबल सर्किट मैनपुरी - अलीगढ द्विपथ पारेषण लाइन के निर्माण हेतु जनपद एटा में 0.46 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग व 01 वृक्ष के पातन की अनुमति हेतु प्रेषित प्रस्ताव के अंतर्गत प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भारत सरकार की विधिवत स्वीकृति से पूर्व कार्य पूर्ण कराकर, वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन किया है । उल्लंघन के सम्बन्ध में भारत सरकार, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक F.No. 11-42/2017 – FC दिनांक 21.01.2018 द्वारा जारी गाइडलाइन्स की अनुसार निम्न प्रकार Penalty का प्राविधान किया गया है।

B. In cases where the proposal under FC Act is under consideration and forest land is diverted before grant of FC :

i . The penalty for violation shall be equal to NPV of forest land per Hectare for each year of violation from the date of actual diversion as reported by the Inspecting Officer with maximum upto five (5) times the NPV plus 12 percent simple interest till the deposits is made.

ii – In case of public utility projects of the Government, penalty shall be 20% of the penalty proposed in para (i) above.

1.1 प्रस्ताव के अंतर्गत प्रस्तावित एन० पी० वी० - प्रभावित वन भूमि (0.184) X 9,57,780 = 1,76,231.52

1.2 प्रस्ताव के अंतर्गत प्रस्तावित एन० पी० वी० - प्रभावित वन भूमि (0.276) X 12,28,590 = 3,39,090.84

कुल योग = 5,15,322.36

2. प्रस्ताव के प्रक्रिया में होने वाले उल्लंघन किये जाने के कारण- 5 X 5,15,322.36 = 25,76,611.80
(वर्ष 2017 से उल्लंघन हेतु - अधिकतम 5 गुना)

3. 12 प्रतिशत Simple Interest = 25,76,611.80 X 12% = 3,09,193.42

4. पांच वर्ष की एन० पी० वी० पर एक वर्ष का ब्याज 3,09,193.42/ 5 = 61,838.68

5. सात वर्ष की एन० पी० वी० का ब्याज (61,838.46 X 7) = 4,32,870.78

6. पांच गुना एन० पी० वी० एवं सात वर्ष की एन० पी० वी० का ब्याज = 30,09,482.58
(25,76,611.80+ 4,32,870.78)

7. Public Utility Project होने के कारण, कुल आगणित दंडात्मक एन०पी०वी० का 20 प्रतिशत = 6,01,897.00
(30,09,482.58 X 20%)

(रू० शब्दों में - छः लाख एक हज़ार आठ सौ सत्तानबे मात्र)

20/1/24

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, एटा

Scanned with ACE Scanner